प्रेस नोट

दिनाँक 22.09.2025

जनपद – संतकबीरनगर

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में- ***थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा*** 02 वारण्टी नाम पता 01. नन्दनी पत्नी रामकुबेर निवासी बौरव्यास थाना धर्मसिहंवा जनपद संतकबीरनगर 02. रामजी यादव पत्नी राम उग्र यादव निवासी बरनवार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री अशोक कुमार भारती, उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव, म0का0 ममता यादव।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6000 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6000 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत मिठना सिठना से कालर द्वारा बाईक व ई-रिक्शा का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों (1.सुधा पत्नी इन्द्रेश सा0 मिठना-सिठना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 2.इरफान पुत्र सलाउद्दीन 3.कलाम पुत्र अब्दुल मजीद निवासीगण ग्राम बकौली कला थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 गोरखनाथ यादव, आ0 हरिशंकर शाह, हो0चा0 रामवीर चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 172 वाहनों से 1,91,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 22.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 172 वाहनों से 1,19,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के अपराध में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 22.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 संतकबीरनगर*** द्वारा गोवध निवारण अधिनियम व के अपराध में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनाँक 06.03.2004 को 07 अदद गोवंशीय पशु बरामद करते हुए मु0अ0सं0 116/2004 धारा 5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर पर पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अकबर पुत्र नबी बंजारा निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को धारा 5/8 सी0एस0 एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधिनियम के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास 4000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 22.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)एफ0टीस0/ए0सी0जे0एम संतकबीरनगर*** द्वारा 02 अभियुक्तों को मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व 4000 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक 03.04.2004 को वादी श्री अकालू यादव पुत्र श्यामदेव द्वारा थाना मेंहदावल पर मार पीट के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 736/2004 धारा 323/324/504 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. सर्वजीत पुत्र सोमन, 02. सीता देवी पत्नी सोमन निवासी साड़ेखुर्द टोला भड़ारे थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर जूर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्तगण सर्वजीत व सीता देवी को मुकदमा उपरोक्त में धारा 323 भादवि के अपराध के लिए 500-500 सौ रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 01-01 माह का सादा कारावास, धारा 324 भादवि के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000-1000 हजार रुपया अर्थदण्ड, जुर्माना अदा न करने पर 03-03 माह का सादा कारावास, धारा 504 भादवि के अपराध के लिए 500-500 सौ रुपया अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के अपराध में 04 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास 8000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 22.09.2025 को ***माननीय न्यायालय ए0सी0जे0(जे0डी0)प्रथम संतकबीरनगर*** द्वारा 04 अभियुक्तों को मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व 8000 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक 23.10.2004 को वादिनी श्रीमती लोटनी पत्नी स्व0 दशरथ द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर मार पीट के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 60/2007 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. कोमल पुत्र श्यामदास, 02. प्रधान उर्फ रामदरश पुत्र श्यामदास, 03. सुभावती पुत्री श्यामदास निवासीगण सनईपार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर 04. रामबेलास पुत्र प्रहलाद निवासी करमा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को जूर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अन्तर्गत धारा 323/504/506 भादवि के अपराध के लिए 2000-2000 हजार रुपये अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दण्डित किया गया ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस का साधारण कारावास भुगतेंगे।